15.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थ
पत्रावली के संबंधित वाद पत्र का निस्तारण
हो जाने के कारण प्रा०पत्र आर्डर निषेधाज्ञा
का कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः
प्रा०पत्र आर्डर निषेधाज्ञा का प्रा०पत्र रद्द
रद्द पर खारिज किया जाता है पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर के बाद दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी नि०वा
जिला झुन्झुनूं (राज)